

आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कभिश्नर, वाणिज्य कर, उ० प्र०, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-2

लखनऊः दिनॉक 27 फरवरी, 2020

विषयः- दिनांक 31.03.2019 तक उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948, केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम 1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम 2007 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 (VAT) एवं उत्तर प्रदेश कैबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 में दिनांक 31.03.2019 तक निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर लम्बित व्याज/अर्थदण्ड माफी योजना लागू किया जाना।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—वि०व०संग्रह/ 2019—20/ 1360/वाणिज्यकर दिनांक 28 जनवरी, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें।

 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 31.03.2019 तक निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर लम्बित ब्याज / अर्थदण्ड माफी योजना लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

- दिनांक 31.03.2019 तक सृजित मॉग के बकाये के अवशेष मामलों में बकाया कर की मूल धनराशि में उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम 1948, केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम 1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 2007, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 (VAT) एवं उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के अन्तर्गत बकाया सम्मिलित मानी जायेगी।
- यह योजना प्रश्नगत ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना का शासनादेश जारी होने की तिथि से 03 माह तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।
- 3. ब्याज माफी योजना के परिणामस्वरुप व्यापारी वर्ग अपना ध्यान G.S.T. पर केंद्रित कर सकेंगे, क्योंकि व्यापारियों को ब्याज माफी का अवसर प्रदान किया जाएगा एवं कानून के अंतर्गत किसी भी अन्य प्रभाव अर्थात उत्पीड़नात्मक कार्यवाही आदि से उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। योजना का सबसे आकर्षक प्रभाव व्यापारियों को बकाया कर जमा करने पर ब्याज एवं अर्थदण्ड से भी राहत प्राप्त होगी।
- इस योजना का लाभ 3,23,439 व्यापारी, जिन पर रूपये 23457.96 करोड़ बकाया है, ले सकेंगे।
- 5. व्यापारियों को इस लाभप्रद योजना को आकर्षण बनाये रखने के लिए मूल एवं ब्याज बकाये को जमा करने हेतु किश्त के विकल्प की व्यवस्था की जा रही है।

AP.GO 2019 awasthi

Scanned with CamScanner

www.abcaus in प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक आदेश के लिए पृथक-पृथक मानी जायेगी। योजना लागू होने के पूर्व में

- जमा मूलधन/ ब्याज/अर्थदण्ड इस योजना के अंतर्गत वापसी/समायोजन योग्य नहीं होगा तथा योजना के फलस्वरुप जमा मूलधन/ब्याज/ अर्थदण्ड भी वापसी/समायोजन योग्य न होगा। अर्थदण्ड का तात्पर्य बकाया न जमा करने के कारण लगाये गये अर्थदण्ड से है। अन्य प्रकार के
- अर्थदण्ड/शारितयों का लाभ इस योजना के अंतर्गत अनुमन्य नहीं होगा, किन्तु इसकी गणना बकाये 7. के मूलधन के रूप में की जा सकेगी एवं उक्त योजना के अंतर्गत उल्लिखित समस्त लाभ प्रदान किये
 - दिनांक 31.03.2019 तक उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों एवं नियमावली के समस्त पृथक-पृथक आदेशों के द्वारा सृजित मांग पर माफी योजना लागू की जायेगी।
 - बकाया जमा करने पर व्यापारी को जमा का प्रमाण पत्र तथा समाधान लाभ के अतिरिक्त समस्त 9.
 - बकाया जमा करने पर व्यापारी को नोडयूज प्रमाण पत्र भी इस शर्त के साथ जारी किया जायेगा कि यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि व्यापारी द्वारा अपने सम्बन्धित वर्ष के टर्न ओवर के कुछ तथ्य छिपाये गये हैं अथवा किसी अन्य कारण से सरकार को मिलने वाले राजस्व की क्षति हुयी है तो विद्यमान प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी व्यापारी के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र
 - 10. ब्याज माफी योजना के लिए आवेदन केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे एवं छोटे व्यापारियों के लिए स्थानीय कार्यालय स्तर पर सुविधा प्रदान की जायेगी।

ק מעותו ש ונויני	जमा की जाने वाली मूल धनराशि	ब्याज की माफ की जाने वाली धनराशि	ब्याज माफ न की जाने वाली धनराशि	केवल बकाया न जमा करने पर आरोपित अर्थदण्ड की माफ की जाने वाली घनराशि
1	2	4	5	6
रु० १० लाख तक	सम्पूर्ण	75%	25%	100%
रु0 10 लाख से अधिक रु0 1 करोड़ तक	सम्पूर्ण	50%	50%	100%
रु० 1 करोड़ से अधिव रु० 5 करोड़ तक	⁵ सम्पूर्ण	20%	80%	100%
रु० 5 करोड़ से अधिव	ज सम्पूर्ण	10%	90%	100%

11. योजना में बकाया एवं ब्याज की धनराशि में जमा तथा माफी निम्न प्रकार की जाएगी-

ब्याज की गणना छूट के पूर्व की समस्त मूलधन धनराशि से की जाएगी। 12.

योजना में मूल धनराशि एवं ब्याज को दिनांक 31.03.2020 तक एकमुश्त जमा करने पर 13. ब्याज की माफ न की जाने वाली धनराशि पर 5% अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी। योजना में मूल धनराशि एवं ब्याज आदि का न्यूनतम 25% एकमुश्त जमा किये जाने पर योजना के अनुसार जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि को योजना अवधि के अंतर्गत किश्तों में जमा करने हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी। योजना में किश्त का विकल्प व्यापारी के लिए ऐच्छिक होगा किन्तु एक बार विकल्प स्वीकार करने के पश्चात विकल्प में कोई

AP.GO 2019 awasthi

WWW. विशिद्ध पिद्ध किया जा सकेगा। साथ ही व्यापारी को यह भी सुविधा अनुमन्य होगी कि मासिक अथवा त्रैमासिक हेतु निर्धारित किश्त की धनराशि अपनी सुविधानुसार उसी अवधि के अंतर्गत कई बार (Part payment) में जमा कर सकेगा। किश्त के आदेश में उल्लिखित तिथि एवं समय–सीमा लागू रहेगी, जो निग्न प्रकार होगी–

क्मांक	मूल एवं ब्याज की धनराशि की एकमुश्त जमा की जाने वाली न्यूनतम धनराशि	अवशेष घनराशि जिसकी किश्त की जानी है	किश्त की धनराशि एवं अंतिम तिथि		
	2	3	संबंधित अधिकारी द्वारा व्यापारी के विकल्प के अनुसार किश्तों के		
1		50/ 75%	संबाधत आधकारा धारा जानारा के के नी गणना करते वि		
1	25%	1576	संबंधित अधिकारी द्वारा व्यापारा के प्रवर्तरा यु आदेश मूलधन के साथ ब्याज की धनराशि की गणना करके किये जायेंगे, जिसमें माह/त्रैमास निर्धारित किया जाएगा।		

- 14. यदि किश्त का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है तो केवल मूल धनराशि हेतु जमा की तिथि तक 12% वार्षिक दर से ब्याज सहित किश्त देय होगी तथा देयक के तीन किश्तों अथवा एक त्रैमासिक किश्त के भुगतान न करने पर संबंधित बकायेदार स्वतः योजना से बाहर माना जायेगा एवं अवशेष धनराशि की तत्काल नियमानुसार उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करते हुए वसूली की जायेगी।
 - 15. इस योजना के सफल कियान्वयन हेतु अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने स्तर से जिले के जिलाधिकारियों / अधिवक्ता संघों के साथ-साथ व्यापारी वर्ग व व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हुए समुचित प्रचार-प्रसार कराया जायेगा ताकि योजना लोकप्रिय हो सके और अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति हो सके।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय;

Anna

(आलोक सिन्हा) अपर मुख्य सचिव